भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 100

उत्तर देने की तारीख 21.07.2025

निम्न साक्षरता दर

†100. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश की साक्षरता दर का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में निम्न साक्षरता दर के कारणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास निश्चित समय-सीमा के भीतर देश में शत-प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो देश में शत-प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करने के स्वप्रिल परियोजना को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में नवीनतम साक्षरता दर 80.9% है। पीएलएफएस रिपोर्ट के आधार पर, देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार साक्षरता दर दर्शाने वाली तालिका **अनुलग्नक-I** पर दी गई है। विभिन्न कारक जैसे गरीबी, लैंगिक और सामाजिक असमानताएं आदि देश में साक्षरता को प्रभावित करते हैं।

(ग) और (घ): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के पैरा 21.4 में प्रौढ़ शिक्षा और आजीवन अधिगम का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि:

"समुदायिक भागीदारी और प्रौद्योगिकी के सुचारु और लाभकारी एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा के लिए सुदृढ़ एवं नवाचारी सरकारी पहलों को जल्द से

जल्द लागू किया जाएगा, ताकि 100% साक्षरता के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति शीघ्र हो सके।

प्रौढ़ शिक्षा पर एनईपी-2020 की इन सिफारिशों के साथ, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 4.6 में यह अनिवार्य किया गया है कि: "वर्ष 2030 तक यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी युवा और प्रौढ़, पुरुष और महिलाएं दोनों, साक्षरता और संख्याज्ञान दक्षता प्राप्त कर लें"।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, भारत सरकार वर्ष 2022 से 2027 तक उल्लासः नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है। एनईपी 2020 के अनुरूप यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों, शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों, महिलाओं आदि पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन प्रौढ़ों (15 वर्ष और उससे अधिक आयु) को लक्षित करती है, जो औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए हैं।

भारत के लिए पूर्ण साक्षरता को पढ़ने, लिखने और समझ के साथ गणना करने की क्षमता अर्थात पहचानना, समझना, व्याख्या करना और सृजन करने की क्षमता के साथ-साथ डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता आदि जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशलों के रूप में परिभाषित किया गया है। यह परिभाषा यूनेस्को द्वारा साक्षरता की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा के अनुरूप है। किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को कम से कम 95% साक्षरता प्राप्त करने पर पूर्ण साक्षर घोषित किया जाता है। चार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नामतः लद्दाख, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा उल्लास-नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर हो गए हैं।

*****

अनुलग्नक-I

माननीय संसद सदस्य श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा "निम्न साक्षरता दर" के संबंध में दिनांक 21.07.2025 को पूछा जाने वाला लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 100 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार, देश में 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की साक्षरता दर (प्रतिशत में)।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आयु-समूह (वर्ष) 7 और उससे अधिक
1.	आंध्र प्रदेश	72.60
2.	अरुणाचल प्रदेश	84.20
3.	असम	87.00
4.	बिहार	74.30
5.	छत्तीसगढ़	78.50
6.	दिल्ली	86.90
7.	गोवा	93.60
8.	गुजरात	84.60
9.	हरियाणा	84.80
10.	हिमाचल प्रदेश	88.80
11.	झारखंड	76.70
12.	कर्नाटक	82.70
13.	केरल	95.30
14.	मध्य प्रदेश	75.20
15.	महाराष्ट्र	87.30
16.	मणिपुर	92.00
17.	मेघालय	94.20
18.	मिजोरम	98.20
19.	नगालैंड	95.70
20.	ओडिशा	79.00
21.	पंजाब	83.40
22.	राजस्थान	75.80
23.	सिक्किम	84.70
24.	तमिलनाडु	85.50
25.	तेलंगाना	76.90
26.	त्रिपुरा	93.70
27.	उत्तराखंड	83.80
28.	उत्तर प्रदेश	78.20
29.	पश्चिम बंगाल	82.60
30.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	91.10
31.	चंडीगढ़	93.70
32.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	87.80
33.	जम्मू एवं कश्मीर	82.00
34.	लद्दाख	81.00
35.	लक्षद्वीप	97.30
36.	पुदुचेरी	92.70
	अखिल भारतीय	**80.90**